फर्द अहकाम

बनाम

या /वर्ष : /20

नांक आज्ञा ा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
8/7/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी (अ.) वकील प्रार्थी ने अप्रार्थी(ग०) की तामील करवाने हेतु न्यायालय फीस या डाक महसूल समय पर नहीं दिया। अतः आदेश 9 नियम 2 के तहत ~~खारिज~~ प्र. पत्र 212 RTA खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)